सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्री सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–19/2017

बउनवान

अमरलाल पुत्र घांसी जाति माली निवासी मोटूका तहसील अटरू जिला बारां

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अटरू जिला बारां

(रेस्पोडेन्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित :– 1– श्री बृजराज सिंह चौहान अभिभाषक **(अपीलांट)**
2– पेरोकार सरकार **(रेस्पोडेन्ट)**

निर्णय दिनांक 22.05.2019

अपीलांट ने यह अपील जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अटरू के प्रकरण संख्या 160/2015 के अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम में पारित निर्णय दिनांक 17.04.2015 के विरूद्व अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट को वाके ग्राम मोटूका की सरकारी भूमि किस्म बरानी ा पर सम्वत् 2071 में खसरा नम्बर 34, 35 की रकबा 0.32 हेक्टर भूमि पर फसल सरसों व गेहूँ की बोई जाकर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 30 दिन की सिविल कारावास की सजा एवं 112/– रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है। जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील को दिनांक 28.04.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब कर, अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

अपीलांट के अभिभाषक ने दौराने बहस व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यो के प्रतिकूल होने से काबिले खारजा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के नाम पश्चातवर्ती अतिक्रमी के जारी नोटिस की तामील देशराज के हस्ताक्षर करवाकर की गई है। उक्त व्यक्ति कौन है उसका अपीलांट से क्या सम्बन्ध है यह नही दर्शाया गया है। इसलिए अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय मे सुनवाई का विधि अनुरूप पूर्ण अवसर नही मिला है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवायी एवं जवाब देही का अवसर दिये बिना स्वतंत्र साक्ष्य लिये पटवारी हल्का की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट की अनुपस्थिति में एकतरफा निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। अलीलांट का अतिक्रमित आराजी पर मौके पर कोई कब्जा नही है अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलांट द्वारा तावान राशि भी जमा करवा दी गई है तथा अपीलांट की ओर कोई सरकारी तावान बकाया नही है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 12.04.17 को पुलिस तलाशने गांव मे आयी तब हुयी, इसके बाद दिनांक 13.04.2017 को आवेदन पेश कर दिनांक 17.04.2017 को नकल निर्णय प्राप्त किया। अस्तु जानकारी से अपील अन्दर मियाद पेश कर निवेदन किया कि अपील स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि अपीलांट द्वारा सरकारी भूमि किस्म बरानी ा पर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया जाकर तामील करवाई गई है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहा है। अपीलांट द्वारा गतवर्ष में भी इसी आराजी पर अतिक्रमण किया गया था। जिसे पटवारी हल्का द्वारा भौतिक रूप से बेदखल किया जाकर, पुनः अतिक्रमण नही किये जाने हेतु पाबन्द किया गया था। अपीलांट द्वारा पुनः सम्वत् 2071 में किया गया, अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाकर, अपीलांट की सजा माफ की जा सकती है।

हमने उभयपक्षो के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने का नोटिस जारी किया गया। जिसकी तामील देशराज के हस्ताक्षर करवाकर की गई है। उक्त व्यक्ति कौन है उसका अपीलांट से क्या सम्बन्ध है यह नही दर्शाया गया है। इसलिए अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय मे सुनवाई का विधि अनुरूप पूर्ण अवसर नही मिला है। जिससे अपीलांट वक्त निर्णय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अटरू में अनुपस्थित रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का के बयान लिये गये है ओर अपीलार्थी को पटवारी के बयानो में जिरह का अवसर नही दिया गया है तथा दो स्वतंत्र गवाहों के बयान भी नही लिये गये है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय की तकनिकी त्रुटी होना पाया जाता है।

अतः अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अटरू को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण मे 7 दिवस मे जॉच करे, कि अपीलांट के नाम आप द्वारा जारी पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने के नोटिस की तामील जिस व्यक्ति देशराज को करवाई गयी है। उक्त व्यक्ति का अपीलांट से क्या सम्बन्ध है। यदि देशराज अपीलांट के परिवार का सदस्य है, तो आप द्वारा प्रकरण संख्या 160/2015 किस्म धारा 91 एल.आर.एक्ट बउनवान सरकार बनाम अमरलाल मे पारित निर्णय दिनांक 17.4.2015 यथावत रखा जाता है। यदि देशराज अपीलांट के परिवार के सदस्य के अलावा अन्य व्यक्ति जॉच मे पाया जाता है। तो आप द्वारा प्रकरण संख्या 160/2015 मे पारित निर्णय दिनांक 17.4.2015 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ आपको प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट के नाम पुनः पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने का नोटिस जारी किया जाकर, तामील प्रोपर करवाई जाकर विधिवत सुनवाई की जाकर प्रकरण मे नये सिरे से निर्णय पारित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.05.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति0 जिला कलक्टर,
बारां